

फारम-VII-क
कार्यलय नगर परिषद दानापुर निजामत
भवन की योजना के अनुमोदन
उपविधि संख्या- 8(4)

आप के आवेदन संख्या- 24 तिथि- 12.12.2015 के संदर्भ में

श्रीमती/श्री अमरेन्द्र कुमार सिन्हा, पता- प्रोपराईटर नं0-1 c, राजेन्द्र नगर, पटना।

- (क) आवासीय भवन के निर्माण
- (ख) भवन के पुनःनिर्माण
- (ग) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन
- (घ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु दानापुर नगर परिषद/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/विहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम के प्लॉट नं0- 75 (P), खाता नं0- 106, तौजी नं0- 5520, थाना नं0- 22, वार्ड नं0- मौजा- जलालपुर, पता- प्रोपराईटर नं0-1 c, राजेन्द्र नगर, जिला- पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं0-24..... है, की स्वीकृति दी जाती है:-

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 528.24 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि40'..... चौड़ाई के वर्तमान पहुंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ङ) प्रशंगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/ या विहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधिन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों

के अधिनस्थ दानापुर नगर परिषद नगर निगम/नगर परिषद/पगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/आयोजना क्षेत्र में 1.37 मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।

(13) अनुमति (अनुमति) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिवानुसार होगा।

(14) इस उपर्यक्त के अधिन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, एक, द्वितीय वादत साध्य नहीं मानी जाएगी।

(15) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/द्वितीय वादत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जावेगी।

(16) विहार नगर पालिका अधिनियम 2007 एवं विहार भवन उपाधि 2014 के संगत प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करना होगा।

(17) अनुमति जारी किए जाने के पश्चात् यदि कोई दस्तावेज या तथ्य उद्घाटन जो या असत्य पाये जाने की स्थिति में नगरीय की स्वीकृति रद्द करते हुए विहार नगर पालिका अधिनियम 2007, विहार भवन उपाधि 2014 एवं अन्य संगत प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाई की जाएगी।

(18) निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सूचना दे देंगे एवं बिल्डिंग वायलेंस के अनुसार निर्माण कार्य को समय-समय पर निर्माण कार्य के प्रत्येक स्तर पर जीव करायेंगे एवं Completion Certificate / Occupation Certificate प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

कर्नाथ अभियंता
नगर परिषद दानापुर निजामत

22/01/16
सहायक अभियंता
नगर परिषद दानापुर निजामत

20 —
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

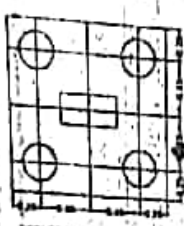
शाखांक:- 136...../दिनांक:- 25/11/2016

प्रतिलिपि:- श्री अमरेन्द्र कुमार सिन्हा, पता- प्रोपराईटर नं0-1 C, राजेन्द्र नगर, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

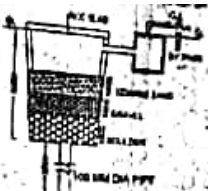
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत



SECTION FIVE WATER TANK

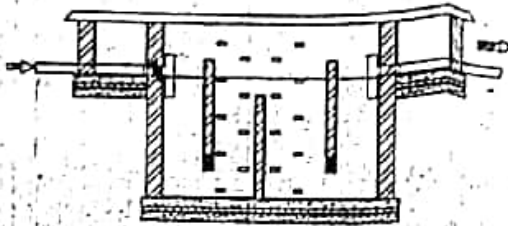


DETAIL OF PILE FOUNDATION

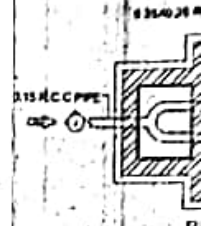


SECTION AT A-A

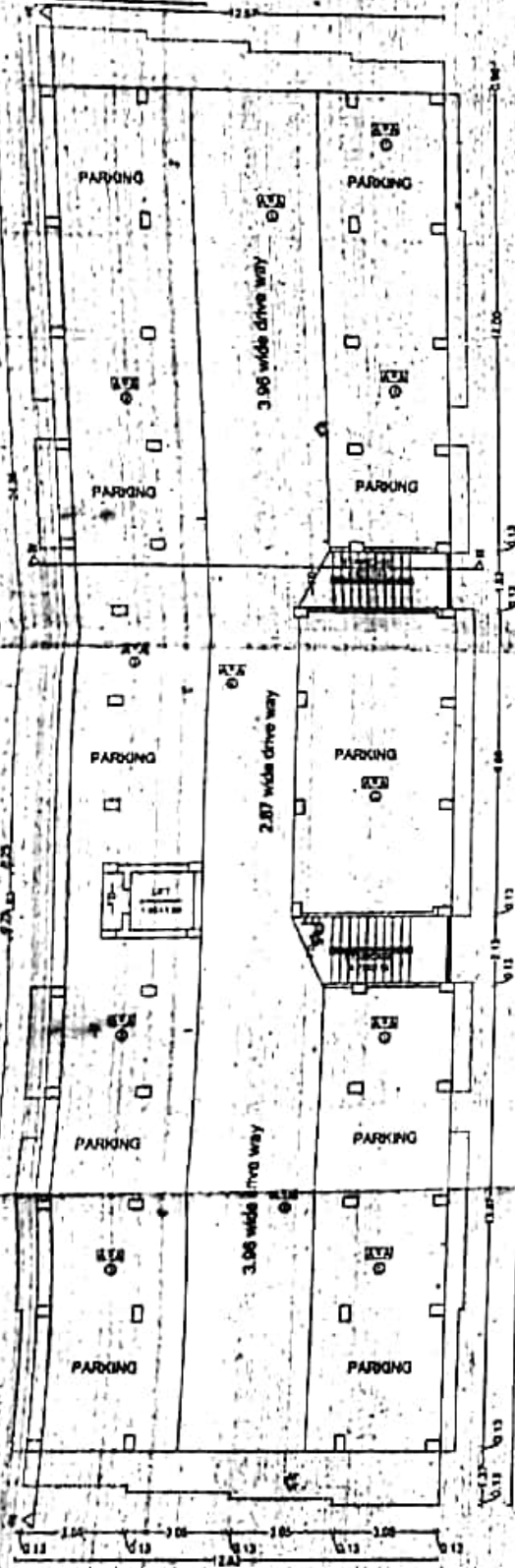
DET. OF RE-CHARGEABLE BORE WELL



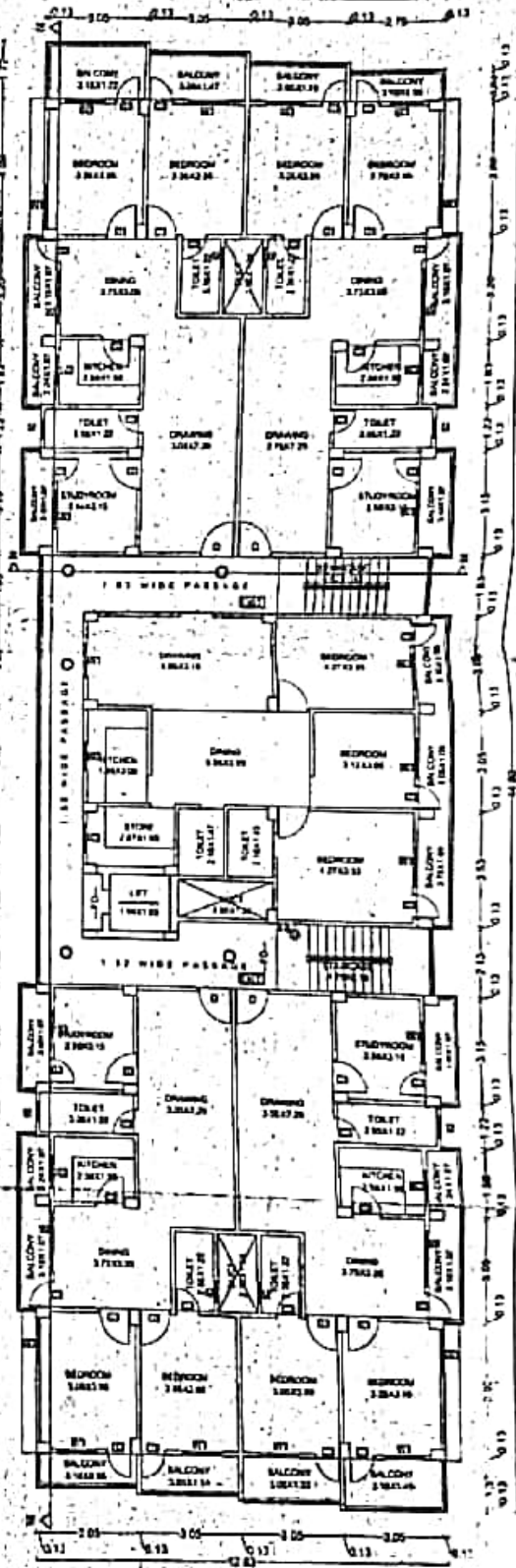
SECTION ON Z-Z



115 MCC PIPE



GROUND FLOOR PLAN
SCALE 1/4"=1'-0"



1ST-4TH FLOOR PLAN
SCALE 1/4"=1'-0"